न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –82/2019 (अपील)

1. संजय शर्मा पुत्र श्री उमा शंकर, निवासी 5 आई 26 महावीरनगर तृतीय, कोटा जिला कोटा (राज.)

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा ।
2. श्रीमति यशोदा देवी शर्मा, पत्नि स्व0 श्री उमाशंकर शर्मा, निवासी म0नं0 100, शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा ।
3. श्रीमति विनय शर्मा पत्नि श्री दिनेश शर्मा, निवासी शांकि निकेतन, सिंधी धर्मशाला के सामने, गुमानपुरा कोटा
4. श्री अजय शर्मा पुत्र स्व0 श्री उमा शंकर शर्मा, निवासी म0नं0 100, शास्त्री नगर दादाबाडी कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अण्डर सेक्शन 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामातकरण संख्या 1201 (1–ख) विरासत आदेश कमांक/एल0आर01771 दिनांक 7.3.2019 स्वीकृति दिनांक 04.04.2019 ग्राम रंगपुर तहसीलदार लाडपुरा

उपस्थिति

1. श्री भुवनेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 3
3. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 4

निर्णय

दिनांक– 04.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा नामा0 सं0 1201 ग्राम रंगपुर में दिनांक 04.04.20 को आदेश पारित कि–" मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, जांच भू–अभिलेख निरीक्षक अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.09.2019 को पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट के पिता स्व0 उमाशंकर के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 1248 की रकबा 1.53 हे0 भूमि ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित है, जिसका दान पत्र स्व0 उमाशंकर शर्मा द्वारा दिनांक 8.8.2018 को अपीलान्ट के पक्ष में उप पंजीयक, कोटा प्रथम के समक्ष निष्पादित किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 5.3.2019 को रेस्पोडेन्ट कम 1 के समक्ष नामान्तकरण बाबत आवेदन किया जिस पर रेस्पो0 कम 1 द्वारा नामान्तकरण हेतु एल0 आर0 को निर्देशित किया परन्तु हल्का पटवारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जिस पर पुनः प्रार्थना पत्र रेस्पो0 कम 1 के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर पूर्व पत्रांक/अ/17–17 दिनांक 5.3.2019 की पालना के संबंध में की गई

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

कार्यवाही से अवगत कराये जाने बाबत रिपोर्ट चाही गई परन्तु इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा कोई नामान्तकरण के संबंध में कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी और दिनांक 4.4.2019 को इसके विपरीत नामान्तकरण संख्या 1201 विरासत के आधार पर खोल दिया गया । प्रार्थना पत्र दिनांक 5.3.2019 पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र कार्यवाही से अवगत करवाने की टिप्पणी सहित दान पत्र दिनांक 8.8.2018 जमाबंदी दिनांक 9.5.2019 प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र की सत्य प्रति माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ अपील के साथ संलग्न है । इसके उपरान्त तत्कालीन हल्का पटवारी का स्थानान्तरण हो गया और नवीन हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया और 13.9.2019 को प्रतिलिपि प्राप्त हुई । नामा0 सं0 1201 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 9.5.2019 को होने पर प्रतिलिपि आवेदन करने पर नामा0 जमा नहीं होने पर पुनः दिनांक 3.9.2019 को आवेदन करने जिसकी प्रतिलिपि 13.9.2019 को प्राप्त होने व इसी बीच अपीलान्ट की मा बीमार होने के कारण उसकी सेवा सुश्रषा में व्यवस्थ होने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित हुआ है जो क्षमा योग्य है । विलम्ब शमन बाबत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है । अतः अपील अपीलान्ट विरूद्व रेस्पोडेन्टगण प्रस्तुत कर प्रार्थना है, कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1201 दिनांक 4.4.2019 विरासत निरस्त किया जाकर दान पत्र दिनांक 8.8.2018 के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोले जाने बाबत रेस्पोडेन्ट कम 1 को निर्देशित किया जावें तथा तत्कालीन भू अभिलेख अधिकारी तथा हल्का पटवारी के विरूद्व बाद जांच विभागीय कार्यवाही सेवा नियमों के अन्तर्गत पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही के लिए दण्डित किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट नं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, रेस्पो0 नं0 3 व 4 के वकील उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता स्व0 उमाशंकर के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 1248 की रकबा 1.53 हे0 भूमि ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित है, जिसका दान पत्र स्व0 उमाशंकर शर्मा द्वारा दिनांक 8.8.2018 को अपीलान्ट के पक्ष में उप पंजीयक, कोटा प्रथम के समक्ष निष्पादित किया जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 5.3.2019 को रेस्पोडेन्ट कम 1 के समक्ष नामान्तकरण बाबत आवेदन किया जिस पर रेस्पो0 कम 1 द्वारा नामान्तकरण हेतु एल0 आर0 को निर्देशित किया परन्तु हल्का पटवारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जिस पर पुनः प्रार्थना पत्र रेस्पो0 कम 1 के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर पूर्व पत्रांक/अ/17–17 दिनांक 5.3.2019 की पालना के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराये जाने बाबत रिपोर्ट चाही गई परन्तु इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा कोई नामान्तकरण के संबंध में कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी और दिनांक 4.4.2019 को इसके विपरीत नामान्तकरण संख्या 1201 विरासत के आधार पर खोल दिया गया । अतः अपील अपीलान्ट विरूद्व रेस्पोडेन्टगण प्रस्तुत कर प्रार्थना है, कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1201 दिनांक 4.4.2019 विरासत निरस्त किया जाकर दान पत्र दिनांक 8.8.2018 के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोले जाने बाबत रेस्पोडेन्ट कम 1 को

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

निर्देशित यिका जावें ताि तत्कालीन भू अभिलेख अधिकारी तथा हल्का पटवारी के विरूद्व बाद जांच विभागीय कार्यवाही सेवा नियमों के अन्तर्गत पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही के लिए दण्डित किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि उक्त जैर अपील नामान्तकरण श्री उमाशंकर जी मृतक का फौती नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया है, अपीलांट के साथ साथ रेस्पो0 नं0 3 व 4 भी उमा शंकर जी के पुत्री व पुत्र है, तथा रेस्पो0 नं0 2 पत्नि होने से पारिवारिक सजरे अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, पैतृक सम्पत्ति में सभी पुत्रों का बराबर का हक होता है, अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामा0 खोलने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य होकर सारहीन होने से खारिज की जावें ।

6. हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । उक्त जेर अपील नामा0 सं0 1201 दिनांक 4.4.2019 ग्राम रंगपुर के विरूद्व लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 16.9.2019 को पेश की गई है । प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु विलम्ब से पेश करने के कारण को ध्यान में रखते हुए न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट धारा 5 स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार की मृत्यु होने पर फौती नामान्तकरण खोला जाकर सजरे अनुसार जांच उपरान्त स्वीकृत किया गया है, जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पिता की पैतृक सम्पत्ति में सभी पुत्र पुत्रियों का हक होता है । इसके विपरीत वकील अपीलान्ट यह सिद्व नहीं करा पाएं है कि जैर अपील नामान्तकरण की भूमि मृतक खातेदार उमाशंकर जी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, ऐसी स्थिति में पैतृक सम्पत्ति का स्वीकृत फौती नामान्तकरण प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं होने से हम अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पाते है ।

8. अतः वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार करने के ठोस आधार एवं कारण प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का नामा0 सं0 1201 दिनांक 4.4.2019 ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner